कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर

दूरभाष क्र. 07782-222414, फैक्स-07782-226820 E-mail : dfobastar@yahoo.co.in

क्र./क.त.अ./ 1854 जगदलपुर, दिनांक 11 /05/2026

प्रति,

अधिशासी निदेशक,
एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार, जिला–बस्तर

विषय :– **Diversion of 9.80 ha forest land for Non-Forest Purpose under Forest Conservation Act-1980 Construction of ITI, Polytechnic and other associated in frastrucres in Village -Chokawada, Tehsil Jagdalpur, District- Bastar by the NMDC Lte -In-Principle regarding.**

संदर्भ :–
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूमि–प्र./वन (सं.एवं सं.) अ.) छ.ग. रायपुर का पत्र कमांक/भू–प्रबंध/विविध/577 दिनांक 07.04.2026।
2. मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त जगदलपुर का पत्र क्रमांक/1685 दिनांक 08.04.2026
3. सहायक महाप्रबंधक (पर्यावरण) एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार, जिला–बस्तर का पत्र क./1202 दिनांक 24.03.2026।
4. इस कार्यालय का पत्र क./क.त.अ./1578 दिनांक 16.04.2026।

–00–

उपरोक्त विषयांतर्गत बस्तर वनमण्डल जगदलपुर के माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई. , पॉलीटेक्नीक कालेज एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण कार्य हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं. 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (छोट–बड़े झाड के जंगल) गैर वानिकी उपयोग हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु अधिशासी निदेशक, एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार, जिला–बस्तर को गैर वानिकी उपयोग में देने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति जारी किया गया है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूमि–प्र./वन (सं.एवं सं.) अ.) छ.ग. रायपुर का पत्र कमांक/भूमि–प्रबधंन/विविध/577 दिनांक 07.04.2026 एवं एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) छ.ग. नवा रायपुर का पत्र क./1462 दिनांक 27.04.2026 द्वारा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्ष 2026–27 हेतु 10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना (ईको रेस्टोरेशन सहित) निम्नानुसार दर निर्धारित किया गया है (संलग्न)। निर्देशानुसार इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा मांग पत्र आपकी ओर प्रेषित किया गया था। परन्तु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की पूर्व में की गई गणना राशि में आंशिक संशोधन हुआ है। संशोधित अनुसार राशि का विवरण निम्नलिखित है :–

चयनित क्षेत्र	प्रस्तावित रकबा (हे.)	CA हेतु वर्तमान प्रचलित प्रति हे. दर	राशि (रू.)
कलचा ना.व. कक्ष कमांक 1142	20.000	1415313/-	28306260.00
20.000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले रोपण क्षेत्र हेतु प्रति हेक्टेयर 85 रनिंग मीटर के नार्म्स के अनुसार फेंसिंग की लम्बाई 1700 मीटर होगी, परन्तु स्थल की KML फाईल के अनुसार क्षेत्र में 1914 रनिंग मीटर फेंसिंग की आवश्यकता है।		214 रनिंग मीटर अतिरिक्त फेंसिंग के तीसरे वर्ष से दसवें वर्ष तक के रखर–रखाव हेतु आवश्यक राशि 214 Rm. @2676.50/Rm.= Rs. 572771.00	572771.00
योग :–			**28879031.00**

क्रमशः

अन्तर राशि का विवरण निम्नलिखित है :–

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु पूर्व (वर्ष 2025–26) निर्धारित दर से जमा की गई राशि (रू.)	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वर्तमान (वर्ष 2026–27) निर्धारित दर अनुसार राशि (रू.)	अंतर राशि (रू.)
26115806.00	28879031.00	2763225.00

अतः सैद्धांतिक स्वीकृति के शर्त कमांक 3 के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण (CA) हेतु अंतर राशि रू. 2763225.00 (रू. सत्ताईस लाख तिरसाठ हज़ार दो सौ पच्चीस) ई–चालान जनरेट कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भूमि–प्रबंधन/व.(सं. एवं सं) अ.) छ.ग. रायपुर के कार्यालय से अनुमोदन उपरांत कैम्पा खाता में राशि जमा करें तथा समस्त शर्तों का बिन्दुवार पुनरीक्षित पालन प्रतिवेदन मय पृथक–पृथक वचन पत्र तथा राशि की जमा पर्ची सहित शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करें। ताकि पुनरीक्षित पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

पृ. कमांक/क.त.अ./1855 **जगदलपुर, दिनांक 11/05/2026**
प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूमि–प्रबंधन/वन (सं.एवं.सं.) अ.) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर वृत्त जगदलपुर की ओर संदर्भित पत्र के परिपालन में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण

अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, केपिटल काम्प्लेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर–492002

Tele.: 0771-2512820, E-mail : campa.forest@gmail.com

क्रमांक / कैम्पा–01 / 2026–27 / 1462 अटल नगर, दिनांक: 27/04/202

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक (वन्यप्राणी)
3. वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एलीफेंट रिजर्व, सरगुजा
4. समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)
5. समस्त निदेशक / उप निदेशक (वन्यप्राणी)
   छत्तीसगढ़।

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 में आवेदक संस्थान से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वसूल की जाने वाली राशि के मानक प्राक्कलन का निर्धारण ।

संदर्भः– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं प्रभारी अ.प्र.मु.व.सं. (भूमि–प्रबंधन / वन (सं.एवं स.) अ) छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध / विविध / 115–25 / 577 दिनांक 07 / 04 / 2026

—00—

विषयांतर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं प्रभारी अ.प्र.मु.व.सं. (भूमि–प्रबंधन / वन (सं.एवं स.) अ) के संदर्भित पत्र द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव तैयार करने, आवेदक संस्थानों से वसूलकिये जाने के लिये 10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना हेतु राशि 14,15,313/– रूपये प्रति हेक्टेयर एवं 05 हेक्टेयर से कम के रोपण क्षेत्रों के लिये 20 वर्षीय रखरखाव हेतु राशि 21,45,975/– रूपये प्रति हेक्टेयर की न्यूनतम दर निर्धारित की गयी है। तथापि रोपण स्थल के स्थल सत्यापन के आधार पर वास्तविक सीमा रेखा की फेंसिंग हेतु आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि आवेदक संस्थान से लिया जाना है।

अतः वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरणों में शामिल करने के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का 10 वर्षीय एवं 20 वर्षीय मॉडल परियोजना प्राक्कलन आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु उपरोक्त मॉडल परियोजना प्राक्कलन का उपयोग किया जाये।

संलग्न : क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षीय एवं 20 वर्षीय मॉडल परियोजना प्राक्कलन।

(प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

पृ.क्रमांक / कैम्पा–01 / 2026–27 / 1463 अटल नगर, दिनांक: 27/04/2026

प्रतिलिपि :

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित्।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास / योजना), अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं प्रभारी अ.प्र.मु.व.सं. (भूमि–प्रबंधन / वन (सं.एवं स.)अ) अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

वित्तीय वर्ष 2026–27 में क्षतिपूर्ति रोपण की योजना तैयार कर व्यपवर्तन प्रकरण में समावेश करने हेतु इस प्राक्कलन का उपयोग किया जायेगा

मानक परियोजना प्राक्कलन

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

रोपण का क्षेत्रफल – 1.00 हेक्टेयर

रोपण योग्य क्षेत्र – 100% (1.00 हेक्टेयर)

रोपण अंतराल – 3x3 mtr.

~~प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या–1000~~

फेंसिंग की लम्बाई – 85 रनिंग मीटर प्रति हेक्टेयर

मजदूरी दर 365.00 प्रति मानव दिवस

वर्षवार व्यय का गोशवारा

क्र.	वर्ष	रकबा (हे.)	राशि (रू. में)	प्रति पौधा व्यय (रू. में)
1	प्रथम वर्ष (2026–27)	1.00	498399	498
2	द्वितीय वर्ष (2027–28)	1.00	212404	212
3	तृतीय वर्ष (2028–29)	1.00	178569	179
4	चतुर्थ वर्ष (2029–30)	1.00	105314	105
5	पंचम वर्ष (2030–31)	1.00	62805	63
6	षष्ठम वर्ष (2031–32)	1.00	41150	41
7	सप्तम वर्ष (2032–33)	1.00	39280	39
8	अष्ठम वर्ष (2033–34)	1.00	40116	40
9	नवम वर्ष (2034–35)	1.00	41602	42
10	दशम वर्ष (2035–36)	1.00	54144	54
		योग (प्रथम से दशम वर्ष)	1273782	1274
11		राष्ट्रीय कैम्पा नई दिल्ली हेतु 10 प्रतिशत राशि	141531	
		महायोग :–	1415313	

टीप :–

(1) फेंसिंग कार्य हेतु मानक प्राक्कलन 85 रनिंग मीटर प्रति हेक्टेयर की दर से तैयार किया गया है। क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुसार यदि फेंसिंग कार्य की लम्बाई में मानक प्राक्कलन में दर्शित लम्बाई से वृद्धि होती है तो राशि 2676.50/– रूपये प्रति रनिंग मीटर की दर से अतिरिक्त राशि की गणना की जाकर यूजर एजेंसी से राशि की मांग की जावे।

उदाहरणार्थ :–

10 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले रोपण क्षेत्र हेतु प्रति हेक्टेयर 85 रनिंग मीटर के नार्म्स के अनुसार फेंसिंग की लम्बाई 850 मीटर होगी, परन्तु यदि स्थल की KML फाइल के अनुसार क्षेत्र में 1300 रनिंग मीटर फेंसिंग की आवश्यकता है तो अतिरिक्त राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी :–

नार्म्स के अनुसार फेंसिंग की लम्बाई – 850 रनिंग मीटर

वास्तविक फेंसिंग की लम्बाई – 1300 रनिंग मीटर

अतिरिक्त फेंसिंग की लम्बाई – 450 रनिंग मीटर

450 रनिंग मीटर अतिरिक्त फेंसिंग के निर्माण हेतु आवश्यक राशि 450 Rm. @ 1325/Rm. =Rs. 596250.00

450 रनिंग मीटर अतिरिक्त फेंसिंग के तीसरे वर्ष से दसवें वर्ष तक के रखरखाव हेतु आवश्यक राशि 450 Rm. @ 1351.50/Rm. =Rs. 608175.00

योग : 450Rm@2676.50/Rm.= Rs. 1204425.00

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–25/577 नवा रायपुर, दिनांक 07/04/2026

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक (वन्यप्राणी)
3. समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)
4. समस्त उप निदेशक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़

क. व.31.

विषयः – वन (संरक्षण एवं संवर्धन), अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये वृक्षारोपण दर का निर्धारण बाबत्।

संदर्भः– 1. छ.ग. शासन वन विभाग का पत्र क्/1626/2002 दिनांक 19.03.2002

2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 924 दिनांक 07.04.2025 एवं पत्र क्रमांक 1126 दिनांक 08.05.2025

व.म.अ.
बस्तर वन मण्डल
जगदलपुर
10/4/26

×××××

उपरोक्त विषयांतर्गत छ.ग. शासन वन विभाग के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19.03.2002 द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन), अधिनियम 1980 के व्यपवर्तन प्रकरणों हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण की दर का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार प्रतिवर्ष 10% Inflation का समावेश रोपण योजना में किया जाना अनिवार्य है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के गाईडलाईन 2023 के अनुसार गैर वन भूमि (Non Forest Land) पर 5.00 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में क्षतिपूर्ति रोपण का रखरखाव 20 वर्षो तक किये जाने के भी निर्देश है।

उपरोक्त आदेश एवं निर्देशों के परिपालन में संदर्भित कार्यालयीन पत्र क्रमांक 02 के माध्यम से क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 10 वर्षीय रोपण हेतु (ईको रेस्टोशन की राशि सहित) रूपये 12,86,648/– प्रति हेक्टेयर एवं 05 हेक्टेयर से कम के रोपण क्षेत्रों के लिये 20 वर्षीय रखरखाव हेतु 19,50,886/– प्रति हे. न्यूनतम दर निर्धारित कर निर्देशित किया गया है कि उक्त दर में क्षतिपूर्ति रोपण स्थल के सत्यापन के आधार पर वास्तविक सीमा रेखा की लम्बाई के कारण रोपण की लागत में वृद्धि होती है तो तदनुसार बढ़ी हुई राशि भी आवेदक संस्थान से ली जानी है।

अतः राज्य शासन के निर्देशानुसार कार्यालयीन संदर्भित पत्र क्र. 02 द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दर में 10% की वृद्धि करते हुये वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु निम्नानुसार दर निर्धारित की जाती है:–

क्रमांक	रोपण विवरण	वित्तीय वर्ष	न्यूनतम निर्धारित दर (प्रति हेक्टे.)	रिमार्क
1	10 वर्षीय रोपण योजना (ईको रेस्टोशन की राशि सहित) एवं रखरखाव	2026–27	14,15,313	क्षतिपूर्ति रोपण स्थल के सत्यापन के आधार पर वास्तविक सीमा रेखा की लम्बाई के कारण रोपण की लागत में वृद्धि होती है तो तदनुसार बढ़ी हुई राशि भी आवेदक संस्थान से ली जानी है।
2	05 हेक्टेयर से कम के प्रकरणों में 20 वर्षीय रोपण योजना (ईको रेस्टोशन की राशि सहित) एवं रखरखाव		21,45,975	

उक्त नवीन दर 01 अप्रैल 2026 से प्रभावशील होगी।

(वन बल प्रमुख महोदय द्वारा अनुमोदित)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
एवं प्रभारी अ.प्र.मु.व.सं.
(भूमि–प्रबंधन/वन (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़

105 - Letter Vividh 2026

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी
क्र. 1345
दि. 10/04/2026
बस्तर (सा.) वनमण्डल, जगदलपुर